न्यायालय अपर समाहर्त्ता, बोकारो

नामान्तरण अपील वाद सं0–01/2015
(राम बिहारी प्रसाद सिंह बनाम् झारखण्ड सरकार एवं अन्य)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22-07-2016	प्रस्तुत अपीलवाद भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास के न्यायालय का नामान्तरण वाद संख्या–02/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2013 के विरूद्ध श्री राम बिहारी प्रसाद सिंह, पिता स्व0 गुरू राम, ग्राम–गुरूगोविन्द सिंह नगर, चास, जिला–बोकारो द्वारा यह वाद लाया गया है। उक्त वाद में मौजा चास, खाता नं0–75, प्लॉट नं0–7562, रकवा–05 डिसमिल भूमि का नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान करने से संबंधित है। निम्न न्यायालय में पारित अंतिम आदेश दिनांक 14.05.2013 का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी द्वारा समर्पित कागजात एवं उनके वक्तव्य को सुना। निम्न न्यायालय के द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 14.05.2013 में स्पष्ट रूप से अंचल अधिकारी, चास को निदेश दिया गया है कि आवेदक को नोटिस देते हुए निम्न विन्दुओं पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जाय। 1. क्रेता एवं विक्रेता को उक्त भूमि कैसे प्राप्त है? 2. उक्त भूमि का जमींदारी द्वारा रिटन दाखिल किया गया है अथवा नहीं? 3. क्या विक्रेता के पास 1946 के पूर्व का रजिस्टर डीड है? यदि है तो उसका सत्यापन किया जाय। 4. वन क्षेत्र पदाधिकारी से उक्त भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाय। साथ ही उपरोक्त विन्दुओं पर कार्रवाई हेतु अंचल अधिकारी, चास को रिमाण्ड किया गया है। आवेदक का कथन है कि आवेदित भूमि वन भूमि नहीं हैं। प्लॉट नं0–7562 में 6.21 एकड़ वन भूमि को छोडकर शेष भूमि बन्दोवस्त रैयतों का है। उक्त 6.21 एकड़ वन भूमि पर वन विभाग का डाक बंगला कार्यालय नगरपालिका , कार्यालय आरक्षी उपाधीक्षक, चास	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
22-07-2016	एवं सरकारी आवासी कॉलोनी बनी हुई है। शेष सभी भूमि बन्दोवस्त रैयतों का है। वर्ष 1984 के दंगा पीडितों द्वारा गुरूगोविन्द सिंह नगर, चास (बोकारो) में क्रय की गयी रैयती भूमि प्लॉट नं0–7562 पर वन विभाग द्वारा दावा करने के संबंध में हेल्पलाईन जी0टी0बी0 के आवेदन पत्र का जॉच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि जमींदारी रिटर्न में जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात खाता नं0–752 के बारे में विभिन्न व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, में आवेदक भूमि के पूर्व विक्रेता ज्योति लाल महतो का नाम पंजी–II में दर्ज है, जिसका थोका संख्या–318/3 है। पंजी II के अनुसार खेसरा संख्या 7562 का रकवा 10.59 एकड़ है। उपरोक्त कथनों के पश्चात अपीलार्थी द्वारा अपने नामान्तरण अपील वाद को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के वक्तव्य को सुना, जिससे स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी द्वारा किये गये अपील आवेदन में कुल चार विन्दुओं पर सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु अंचल अधिकारी, चास को रिमाण्ड किया गया है। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास के न्यायालय का नामान्तरण अपील वाद संख्या 02/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2013 को रद्द करते हुए विभागीय परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक 09.12.1998 एवं मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में पूर्णतः जॉच कर आदेश पारित करने हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास को रिमाण्ड किया जाता है। उक्त के आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उक्त आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास को भेजें। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, बोकारो। — अपर समाहर्त्ता, बोकारो।
3928 11/8/16	